

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:-एफ3(ख)(के-157) (लिंक नं.2691)/अलेसे-आ/ 2329

दिनांक 03.03.17

कार्यालय आदेश

वित्तीय सलाहकार, देवस्थान विभाग, उदयपुर के पत्र क्रमांक अभ/1/017 दिनांक 03.03.2017 द्वारा सूचित किया है कि श्री कैलाश चन्द पगारिया, सलेअ-आ द्वारा उनके कक्ष में बिना अनुमति प्रवेश कर आक्रमक होते हुए अनुचित असंसदीय /अभद्र शब्दों का प्रयोग किया श्री पगारिया, सलेअ-आ द्वारा उक्त कार्य अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

अतः श्री पगारिया, को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त कर आदेशों की प्रतीक्षा में इस निदेशालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया जाता है।


[पंकज पाटनी]
निदेशक

क्रमांक:-एफ3(ख)(के-157) (लिंक नं.2691)/अलेसे-आ/ 2329

दिनांक 03.03.17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- 1 आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर।
- 2 वित्तीय सलाहकार, देवस्थान विभाग, उदयपुर।
- 3 श्री कैलाश चन्द पगारिया, सलेअ-आ कार्यालय देवस्थान विभाग, उदयपुर।
- 4 उपनिदेशक(एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट प्रकाशन हेतु)।
- 5 अतिरिक्त निजी सहायक, निदेशक महोदया।
- 6 रक्षित पत्रावली।


[बलवीर सिंह गोठवाल]
अतिरिक्त निदेशक [कार्मिक-आ]